

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या: 4018 /9.1.2013-47टी/12
लखनऊ: दिनांक 20 जुलाई, 2013

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2, सन् 1916) की धारा-3 के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 थ के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल जिस अधिसूचना को जारी करने का प्रस्ताव करते हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा-(1) की अपेक्षानुसार सर्वसाधारण के सूचनार्थ और उसके संबध में आपत्तियों और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2. प्रस्तावित अधिसूचना के संबध में आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हो, प्रमुख सचिव, नगर विकास अनु01, उ0प्र0शासन, बापू भवन, लखनऊ को संबोधित करके, लिखित रूप से प्रेषित किये जाने चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

अधिसूचना का प्रारूप


उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2, सन् 1916) की धारा-3 के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 थ के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल जनसंख्या, जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए प्राप्त राजस्व, कृष्येतर कार्यकलापों में सेवायोजन का प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखकर यह अधिसूचित करते हैं कि स्थानीय क्षेत्र, जिसकी सीमायें नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं; संविधान के भाग-9 क के प्रयोजन के लिए संक्रमणशील क्षेत्र होगा और उक्त संक्रमणशील क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत गठित की जायेगी, जिसे नगर पंचायत रुधौली बाजार जनपद बस्ती के रूप में जाना जायेगा।

अनुसूची

क्र०सं०	दिशाएं	गाटा संख्याएं
1	1. उत्तर -	
	ग्राम निपनियां खुर्द	20,21,22,23,24,38,39,91,92,94,114, 115,118,125,126,140,141,143,144,145,146
	ग्राम रुधौली खुर्द	53,54,55,56,117,118,119,129
	ग्राम रुधौली कला	535,20140,2086,2087,2088,2089, 2093,2098,2103,2104,20105,2106,2142,2490,2491
2	2. पूरब -	
	ग्राम रुधौली कला	1671,1800,1801,1804,1805,1806,1807,1867, 2650,2651,2652,2653,2658,2660,2661

संख्या- 4018 (1)/9-1-2013, तददिनांक


प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को दिनांक 30 जुलाई, 2013 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (ख) में प्रकाशित कर उसकी 50 प्रतियाँ शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

 (श्रीप्रकाश सिंह)
 विशेष सचिव।

संख्या- 4018 (2)/9-1-2013, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, (पंचायत एवं स्थानीय निकाय), उ0प्र0, लखनऊ।
2. आयुक्त, बस्ती मण्डल, बस्ती।
3. स्पीड पोस्ट: जिलाधिकारी, बस्ती को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को संबंधित जिले में व्यापक परिचालन वाले कम से कम एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराये एवं जिलाधिकारी कार्यालय तथा निकाय के सूचना पट पर चस्पा भी कराये।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय/पंचायती राज उ0प्र0 लखनऊ को उक्त अधिसूचना की प्रतियों सहित।
5. उप जिलाधिकारी, रूधौली, बस्ती।
6. तहसीलदार, रूधौली बस्ती।
7. वेब मास्टर को इस आशय से प्रेषित कि वे इस अधिसूचना को विभागीय साइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

 25/7/2013
 (श्रीप्रकाश सिंह)
 विशेष सचिव।

**UTTAR PRADESH SHASAN
NAGAR VIKAS ANUBHAG- 1**

In pursuance of the provisions of clause 3 of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. ⁴⁰¹⁸...../9-1-2013-47T/12, dated 30 July, 2013.

NOTIFICATION

No. ⁴⁰¹⁸...../9-1-2013-47T/12,
Lucknow: dated 30 July, 2013

The following draft notification which the Governor proposed to issue in exercise of the powers under article 243- Q of the Constitution of India read with section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P.Act no. II of 1916) is hereby published for the information of the general public and with a view to inviting objections or suggestions in respect thereof as required under subsection (1) of section 4 of the said Act.

2- Objections or Suggestions, if any, with respect to the proposed notification should be sent in writing addressed to the Pramukh Sachiv, Uttar Pradesh Shasan, Nagar Vikas Anubhag-1, Bapu Bhawan, Lucknow. Only such objections and suggestions shall be taken into consideration as are received within 15 days from the date of publication of this notification in the Gazette.

Draft Notification

In exercise of the powers under article 243-Q of the Constitution of India read with section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P.Act no. II of 1916), the Governor having regard to the population, the density of population the revenue generated for the local administration, the percentage of employment in non- agricultural activities and the economic importance , is pleased to notify that the local area the limit of which is specified in the Schedule below, shall be a transitional area for the purpose of Part IX-A of the Constitution and there shall be constituted for the said transitional area a Nagar Panchayat to be known as Nagar Panchayat Ruddhouli Bazar in District Basti.

SCHEDULE

S.N.	Directions	Gata details
1	1. NORTH	
	Gram Nipaniya Khurd	20,21,22,23,24,38,39,91,92,94,114, 115,118,125,126,140,141,143,144,145,146
	Gram Ruddhouli Khurd	53,54,55,56,117,118,119,129
	Gram Ruddhouli Kala	535,20140,2086,2087,2088,2089, 2093,2098,2103,2104,20105,2106,2142,2490,2491
2	2. EAST	
	Gram Ruddhouli Kala	1671,1800,1801,1804,1805,1806,1807,1867, 2650,2651,2652,2653,2658,2660,2661
	Gram Bankat Vaishakha	126,127,128,130,131,132,133,134,135,141,143,136,
	Gram Mudiyar	668,669,663,671,672,673,674,706,707,725,726,727,740,741
3	3. SOUTH	
	Gram Ruddhouli Kala	1277,1278,1282,1283,1284,1285,1287
	Gram Mudiyar	1354
	Gram Vishunpurwa	26,27
	Gram Sekhui Kala	72,73,77,78,192,223,224,225,226,227,299,233,234,235,242

	Gram Sekhui Khurd	11,103
4	4. WEST	
	Gram Ruddhouli Kala.	1,2,4,15,634,636,638,639,877,881,882, 883,884,885,896,897,898
	Gram Gidhar	1,194,182
	Gram Tharoulli	1,2,12,19,27,28,29,30
	Gram Bangawan	8,12,26,77,79,81,82,84,95,145,146,148,149,115
	Gram Kadiyha	1,112,133,138,93/10


(C.B.PALIWAL)
 Principal Secretary.